

सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020

अधिसूचना संख्या 81/2020-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक, 21 अगस्त, 2020

सा.का.नि.------(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28DA के साथ पठित, धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्ष, प्रारंभ और अनुप्रयोग.- (1) ये नियम सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 हैं।

(2) ये नियम दिनांक 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे।

(3) ये नियम भारत में माल के आयात पर उस स्थिति में लागू होंगे जहाँ आयातक व्यापार समझौते के संदर्भ में शुल्क की वरीयता दर का दावा करता है।

2. परिभाषाएँ.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ रूप में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "शुल्क की वरीयता दर" का अर्थ है वह दर जिस पर व्यापारिक समझौते के अनुसार 'सीमा शुल्क' लगाया जाता है;

(ग) "वरीयता टैरिफ ट्रीटमेंट" का अर्थ व्यापारिक समझौते के अनुसार भारत में आयातित माल पर शुल्क की वरीयता दर को अनुमति प्रदान करना है;

(घ) "मूल नियमों" का अर्थ है - सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1) के संदर्भ में व्यापार समझौते के लिए अधिसूचित नियम;

(ङ) "टैरिफ अधिसूचना" से तात्पर्य है- अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत जारी की गई वह अधिसूचना, जो एक व्यापार समझौते के अनुसार सीमा शुल्क की वरीयता दरों को निर्दिष्ट करती है;

(च) "सत्यापन" का अर्थ है कि संबंधित मूल नियमों में निहित निर्धारित तरीके से प्रमाण पत्र की वास्तविकता की पुष्टि करना अथवा उसमें निहित जानकारी की सत्यता की पुष्टि करना;

(छ) "सत्यापन प्राधिकारी" का अर्थ है- व्यापारिक समझौते के तहत, सत्यापन- अनुरोध का जवाब देने के लिए मनोनीत किया गया निर्यातक देश या मूल देश का प्राधिकारी;

(2) यहां संदर्भित किये गए जिन शब्दों व अभिव्यक्तियों को इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में दिया गया है।

3. वरीयता टैरिफ दावा करने की शर्तें इस प्रकार हैं.- (1) किसी व्यापार समझौते के तहत, वरीयता दर का दावा करने के लिए आयातक या उसके एजेंट को प्रविष्टि बिल दाखिल करते समय,-

(क) प्रविष्टि-बिल में यह घोषणा करनी होगी, कि उस समझौते के तहत माल शुल्क की वरीयता दर के लिए योग्य माल की सभी अर्हताएं पूरी करता है।

(ख) प्रविष्टि -बिल में उस प्रत्येक मद के सामने संबंधित टैरिफ अधिसूचना दर्शाई गई हो जिस पर शुल्क की वरीयता दर का दावा किया गया है;

(ग) मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जिसमें उस प्रत्येक मद को शामिल किया गया हो, जिस शुल्क की वरीयता दर का दावा किया गया है; तथा

(घ) प्रविष्टि बिल में मूल प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज करें, अर्थात्:

- (i) मूल प्रमाण पत्र की संदर्भ संख्या;
- (ii) मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख;
- (iii) मूल शर्तें;
- (iv) दर्शाएं कि क्या संचय / संचयन लागू होता है;
- (v) दर्शाएं कि क्या मूल प्रमाण पत्र किसी तीसरे देश (साथ-साथ) द्वारा जारी किया गया है; तथा
- (vi) दर्शाएं कि क्या माल सीधे मूल देश से ले जाया गया है।

(2) इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के बिना उचित अधिकारी द्वारा शुल्क की वरीयता दर के दावे को अस्वीकार किया जा सकता है यदि-

- (क) मूल नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार पूर्ण नहीं है और प्रारूप के अनुसार नहीं है;
 - (ख) जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी परिवर्तन को प्रमाणित नहीं किया गया हो;
 - (ग) वैधता की अवधि समाप्त हो जाने के बाद तैयार किया गया हो; या
 - (घ) ऐसी मद के लिए जारी किया गया हो जो व्यापार समझौते के तहत वरीयता टैरिफ ट्रीटमेण्ट के लिए योग्य नहीं है;
- और ऐसे सभी मामलों में, प्रमाणपत्र को "लागू नहीं" के तौर पर चिह्नित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: उप-नियम (2) के वाक्य (घ) में वे मामले शामिल हैं जहां माल को संबंधित टैरिफ अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है या मूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उत्पाद सम्बन्धी नियम मद पर लागू नहीं है।

4. आयातक के लिए अपेक्षित मूल सम्बंधित जानकारी - शुल्क की वरीयता दर का दावा करने वाले आयातक को -

- (क) प्रपत्र। में दर्शाया गये अनुसार यह जानकारी हो, कि क्षेत्रीय मूल्य सामग्री और उत्पाद सम्बन्धी नियम समेत मूल देश के मापदंड को ध्यान में रखते हुए मूल नियमों का पालन किया गया है एवं अनुरोध किए जाने पर उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।
- (ख) प्रविष्टि बिल दाखिल किए जाने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक के लिए फॉर्म। से संबंधित सभी सहायक दस्तावेजों को रखें और अनुरोध किए जाने पर उचित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
- (ग) उपरोक्त सूचना और दस्तावेजों की सटीकता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करें।

5. आयातक से उन स्थितियों में सूचना की मांग की जा सकती है जहां - (1) जहां, सीमा शुल्क निकासी के दौरान या तत्पश्चात, उचित अधिकारी द्वारा यह पाया जाए कि संबंधित मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है, तब वह यथा आवश्यकता नियम 4 के संदर्भ में, आयातक के दावे के औचित्य की जांच करने के लिए सूचना और समर्थक दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

(2) यदि आयातक को सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, तब वह ऐसी सूचना या दस्तावेज की मांगे जाने के दस कार्य दिवसों के भीतर उसे उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि उचित अधिकारी, प्राप्त की गई सूचना और दस्तावेजों के आधार पर, इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा किया गया है, तब वह दावा स्वीकार करेगा और आयातक को, उक्त जानकारी और दस्तावेजों की प्राप्त होने के पंद्रह कार्य दिवसों की तारीख से लिखित रूप में सूचित करेगा।

(4) यदि आयातक निर्धारित तिथि तक अपेक्षित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहता है, अथवा यदि उचित अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि जो सूचना और दस्तावेजों प्राप्त हुए हैं वे संबंधित मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तब, उचित अधिकारी इस प्रयोजन के लिए नामित नोडल अधिकारी को नियम 6 के संदर्भ में एक सत्यापन प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।

(5) इन नियमों में निहित प्रावधानों के अलावा, भी कुछ स्थितियों में प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, लिखित कारणों के आधार पर बिना सत्यापन के शुल्क की वरीयता दर के दावे को अस्वीकार कर सकता है जैसे:-

(क) यदि आयातक दावा करने से इंकार कर देता है; या

(ख) आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए जो सूचना और दस्तावेज दर्ज किए गए हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि माल, संबंधित मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों के अनुसार नहीं है।

6. सत्यापन का अनुरोध. - (1) निम्न स्थितियों में उचित अधिकारी, सीमा शुल्क निकासी या तत्पश्चात, सत्यापन प्राधिकारी से मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकते हैं:

(क) यदि व्यापार समझौते के संदर्भ में निर्यातक देश से प्राप्त किया गया सील, मुहरों और हस्ताक्षरों के मूल नमूनों से तुलना करने पर बेमेल पाया जाए तब ऐसे कारणों के आधार पर प्रमाण पत्र की सत्यता या प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है;

(ख) यदि मूल प्रमाण पत्र में वर्णित किए गए अनुसार मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या आयातक द्वारा शुल्क की वरीयता दर का जो दावा किया गया है वह अवैध है; अथवा

(ग) इस बात की दृढ़ पुष्टि करने और यह सत्यापित करने के लिए कि क्या माल, मूल मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं, यादृच्छिक आधार पर सत्यापन किया जा रहा है।

साथ ही खंड (ख) के संदर्भ में एक सत्यापन अनुरोध उसी स्थिति में किया जा सकता है यदि आयातक नियम 5 के तहत मांगी गई अपेक्षित सूचना निर्धारित तारीख तक उपलब्ध कराने में विफल रहता है अथवा आयातक द्वारा प्रदान की गई सूचना अपर्याप्त पाई जाती है। तब सत्यापन प्राधिकारी से विशिष्ट सूचना की मांग करनी होगी जो माल की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

(2) जहां उप-नियम (1) के संदर्भ में प्राप्त अधूरी है या निर्दिष्ट नहीं है, अतिरिक्त सूचना या सत्यापन-दौरे के लिए सत्यापन प्राधिकारी से उसी पद्धति से अनुरोध किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित व्यापार करार के मूल नियमों के तहत बताया गया है जिसके तहत आयातक ने वरीयता टैरिफ की मांग की है।

(3) यदि इस नियम के संदर्भ में कोई सत्यापन अनुरोध किया जाता है, तो अनुरोध करते समय प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निम्न प्रकार से समय-सीमा को सत्यापन प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा:

(क) संबंधित व्यापार करार में निर्धारित की गई समयसीमा; या

(ख) करार में इस प्रकार की समयावधि न होने पर, अनुरोध किए जाने के साठ दिन के भीतर।

(4) जहां उप-नियम (1) के खंड (क) या (ख) के संदर्भ में आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी के दौरान सत्यापन शुरू किया जाता है,

(क) सत्यापन पूरा होने तक ऐसे माल के वरीयता टैरिफ समाधान का निलंबन किया जा सकता है;

(ख) सत्यापन के लिए अनुरोध करते समय सत्यापन प्राधिकारी को वरीयता टैरिफ ट्रीटमेंट के निलंबन के कारणों की जानकारी दी जाएगी; तथा

(ग) आयातक के अनुरोध पर, उचित अधिकारी, माल का अनंतिम रूप से मूल्यांकन करके माल की निकासी कर सकता है व इसके लिए आयातक को सुरक्षा राशि प्रस्तुत करनी होती है, यह राशि, अधिनियम की धारा 18 के तहत अनंतिम रूप से मूल्यांकित किए गए शुल्क और दावा की गई वरीयता दर के मध्य अंतर की राशि के बराबर होगी।

(5) इस नियम के तहत सत्यापन के सभी अनुरोधों को बोर्ड द्वारा नामित किए गए नोडल कार्यालय के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा।

(6) यदि इस नियम में मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त होती है, तब उचित अधिकारी, सूचना प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर अथवा यदि प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क की अनुमति हो तो बढ़ाई गई अवधि के भीतर सत्यापन प्रक्रिया का समापन करेगा।

साथ ही जहां संबंधित मूल नियमों में, सत्यापन को अंतिम रूप देने के लिए एक समयावधि निर्धारित की गई है, वहां उचित अधिकारी उस समयावधि के भीतर सत्यापन को अंतिम रूप देगा।

(7) उचित अधिकारी, निम्न परिस्थितियों में बिना किसी सत्यापन के वरीयता दर के दावे को अस्वीकार कर सकता है:

(क) सत्यापन प्राधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर सत्यापन अनुरोध का जवाब देने में विफल रहता है;

(ख) सत्यापन प्राधिकारी इस नियम में प्रदान की गई सूचना को, इस नियम के साथ पठित मूल नियमों में उपलब्ध कराई गई पद्धति के अनुसार उपलब्ध नहीं कराता है; या

(ग) सत्यापन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए सूचना और दस्तावेज और जो पहले से ही दर्ज हैं, वे इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि माल संबंधि मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों के अनुसार नहीं हैं।

7. समान माल.- (1) जहां यह निर्धारित किया जाता है कि यदि किसी निर्यातक या निर्माता द्वारा तैयार किया गया माल मूल नियमों में निर्धारित मूल मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तब प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क बिना कोई सत्यापन किए, ऐसे निर्धारण से पहले या तत्पश्चात, एक ही निर्यातक या निर्माता द्वारा आयातित एक ही प्रकार के समान के लिए, दायर किए गए वरीयता दर के अन्य दावों को अस्वीकार कर सकते हैं।

(2) जहां उप-नियम (1) के तहत समान वस्तुओं पर किया गया दावा खारिज कर दिया गया हो, तब ऐसी स्थिति में प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क,

(क) आयातक को लिखित रूप में अस्वीकृति के कारणों की सूचना देता है, जिसमें ऐसे मामलों का विवरण भी शामिल है, जिनमें यह स्थापित किया गया था कि एक ही निर्यातक या निर्माता द्वारा तैयार किया गया एक ही तरह का माल मूल मानदंडों को संतुष्ट नहीं करता; तथा

(ख) जब प्राप्त सूचना व दस्तावेजों के आधार पर यह प्रदर्शित किया जाए कि विनिर्मित अथवा अन्य मूल सम्बन्धी परिस्थितियों में निर्यातक या निर्माता द्वारा संशोधन किया गया है जिससे व्यापार समझौते के तहत मूल नियमों की मूल आवश्यकता को पूरा किया जा सके, तत्पश्चात एक ही प्रकार के माल पर वरीयता टैरिफ ट्रीटमेंट को प्रत्याशित प्रभावों के साथ फिर से शुरू करेगा।

8. विविध.- (1) नियम 5 के तहत यदि आयातक निर्धारित तिथि तक अपेक्षित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराने में असफल रहता है, अथवा ये सिद्ध हो जाने पर कि वह इन नियमों के तहत प्रस्तुत की गई सूचना की सटीकता और सत्यता सुनिश्चित नहीं कर पाया है, तो उचित अधिकारी, इन नियमों और अधिनियम के तहत अपेक्षित किसी भी अन्य कार्रवाई के बावजूद, अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के संदर्भ में, आयातक द्वारा शुल्क की वरीयता दर के दावे के साथ दायर की गई सभी अनुवर्ती बिल-प्रविष्टियों के मूल्यांकन का सत्यापन करेगा, जिससे व्यापार समझौते के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके। मूल्यांकन के अनिवार्य सत्यापन की प्रणाली को ऐसी स्थिति में समाप्त किया जा सकता है यदि आयातक ऐसा प्रस्तुत कर पाए कि वह अधिनियम की धारा 28 डीए के तहत पर्याप्त रिकॉर्ड-आधारित नियंत्रकों के माध्यम से, आवश्यकतानुसार उचित देखरेख कर रहा है।

(2) यदि यह सिद्ध हो जाए कि आयातक ने, व्यापारिक-समझौते का अनुचित लाभ उठाने के इरादे से, तथ्यों को दबा दिया है, जानबूझकर गलत बयान दिया है अथवा विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सांठ-गांठ की है, तब ऐसी स्थिति में

उसका, शुल्क की वरीयता दर का दावा खारिज किया जाएगा और उस पर, अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(3) इन नियमों के प्रावधान और मूल नियमों के प्रावधान के बीच टकराव की स्थिति होने पर, मूल नियमों का प्रावधान प्रबल होगा।

(4) यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, यथावश्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के प्रावधानों में यथावश्यक छूट प्रदान कर सकती है।

प्रपत्र 1

(कृपया नियम 4 देखें)

खण्ड-1

(इस प्रपत्र को भरने के लिए दिशानिर्देश)

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 घक की शर्तों के अनुसार, शुल्क के अधिमान्य दर के लिए दावा करने वाले एक आयातक के लिए पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें, किसी देश में उत्पत्ति के मानदंडों सहित क्षेत्रीय मूल्य सामग्री और उत्पाद विशिष्ट मानदंड, व्यापार समझौतों में उत्पत्ति के विशिष्ट नियमों से संतुष्ट होना आवश्यक है।

2. उपरोक्त उद्देश्य के लिए, इस प्रपत्र में न्यूनतम जानकारी की एक सूची है, जो सामान आयात करते समय एक आयातक के पास होनी चाहिए।

3. इसके अलावा धारा 28 घक के तहत आयातक द्वारा दी गयी जानकारी तथा वरीयता दर के दावे की सटीकता और सत्यता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। अतः अन्य कोई अतिरिक्त जानकारी, जो कि किसी देश में मूलमानदंडों का पता लगाने के लिए आवश्यक हो, भी प्राप्त की जा सकती है।

4. जहां भी आवश्यक हो, प्रपत्र में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की व्याख्या सामान्य मार्गदर्शन के लिए दी गयी है। अधोलिखित सूची में प्रत्येक शब्द की सतर्क परिभाषा में प्रत्येक व्यापारिक समझौते के मूल नियमों से भिन्ना हो सकती है। इसलिए, आयातको को यह सलाह दी जाती है कि सम्बंधित मूल नियमों का भी संदर्भ लें, जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है;

(i) **पूर्णतः प्राप्त माल (डब्ल्यू ओ):-** किसी भी गैर- उत्पादित इनपुट सामग्री के बना उत्पादित या प्राप्त माल।

(ii) **माल जो कि गैर:- उत्पादित का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं:** अर्थात् गैर पूर्णतः प्राप्त माल ऐसे माल को मूलतः- उत्पादित माल के रूप में आने के लिए किसी देश में पर्याप्त परिवर्तन से गुजरना आवश्यक है। इन मानदंडों को संयोजित या स्वसंपूर्ण में निम्नलिखित विधि का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है, जो किसी माल के लिए दिए गए मानदंडों के आधार पर होता है;

(क) टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन (सीटीसी);

(ख) क्षेत्रीय या घरेलू मूल्य सामग्री (आर वीसी / डीवीसी); तथा

(ग) प्रक्रिया नियम

(iii) **मूल्य सामग्री विधि :-** इस नियम की आवश्यकता है कि किसी माल को मूलतः माने जाने के लिए माल के मूल्य का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत उस देश में मूलतः उत्पादित हो। उत्पादित माल को ऐसे मूलतः माने जाने के लिए मूल्यवर्धन और सूत्र के घटक में समझौतों के अनुसार भिन्नता हो सकती है।

(iv) **टैरिफ वर्गीकरण (सीटीसी) विधि में परिवर्तन :-** इस मूल मानदंड के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए, माल के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली गैर मूल सामग्री का एच एस वर्गीकरण (जैसे अध्याय स्तर, शीर्षक स्तर या उप शीर्षक स्तर जैसा कि मूलतः उत्पादित माल के नियमों में आवश्यक हो) अन्तिम माल के समान नहीं होना चाहिए। व्यापार समझौते की आवश्यकताओं के आधार पर अधिमान्यता प्राप्त करने के लिए माल के अध्याय (सीसी), शीर्षक (सीटीएच) या उपशीर्षक स्तर (सीटीएसएच) या इनमें से किसी भी स्तर में परिवर्तन से गुजरना होगा। उत्पादकों और/या नियतिकों को माल के अंतिम रूप और गैर मूलतः कच्चे माल के एचएस वर्गीकरण की जानकारी होना आवश्यक है,

(v) **प्रक्रिया नियम विधि:-** इस नियम के अनुसार मूलतः उत्पादित माल के रूप में जाना जाने के लिए किसी माल को उत्पादित देश में किसी विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया से उत्पादित होना आवश्यक है।

ध्यान दें, एक ही माल के लिए अलग-अलग व्यापार समझौतों में अलग-अलग मानदंड तय किए जा सकते हैं।

(vi) **साधारण नियम बनाम उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर):-** कई व्यापार समझौतों में उन सभी माल के लिए एक ही नियम है, जो गैर-मूल सामग्री का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। कुछ समझौतों में, कुछ या सभी टैरिफ शीर्षकों के लिए उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) हैं। माल के एचएस वर्गीकरण के आधार पर, यह देखा जाना आवश्यक है कि मूलउत्पाद का दावा करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया गया है।


(vii) **नगण्य:-** यह प्रावधान यह अनुमित देता है कि गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री जो लागू नियम को संतुष्ट नहीं करती है, की अवहेलना की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी सामग्रियों की समग्रता माल के मूल्य या वजन में विशिष्ट प्रतिशत से अधिक न हो। यह प्रावधान समझौतों में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और समझौता दर समझौता प्रतिशत में भी भिन्नता हो सकती है।

(viii) **संचयन/संग्रहण:-** "संग्रहण/संचयन" की अवधारणा ऐसे देशों को अनुमति देते हैं जो उत्पादन को साझा करने के लिए एक अधिमान्य व्यापार समझौते का हिस्सा है और संयुक्त रूप से मूल प्रावधानों के प्रासंगिक नियमों का पालन करते हैं, अर्थात् व्यापार समझौते में शामिल किसी देश के उत्पादक को व्यापार समझौते में शामिल अन्य किसी देश से मूलतः उत्पाद नियमों को लागू करने के उद्देश्य से उस इनपुट की उत्पादित मूल स्थिति को बनाए रखते हुए, इनपुट सामग्री के उपयोग की अनुमति है, अन्यथा संग्रहण/संचयन की अवधारणा या उत्पत्ति के संचयी नियमों की अवधारणा समझौते में शामिल एक देश के उत्पादों को समझौते में शामिल दूसरे देश में उत्पादों को और संसाधित करने या उसने कुछ मिलाने की अनुमति देती है। इस तरह के संचयन की प्रकृति और सीमा क्षेत्र एक समझौते में परिभाषित होता है और इसमें समझौता दर समझौता भिन्नता हो सकती है। संचयन द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, विकर्ण इत्यादि हो सकता है।

(ix) **अप्रत्यक्ष/तटस्थ तत्व:-** माल के उत्पादन, परीक्षण या निरीक्षण में प्रयुक्त सामग्री को संदर्भित करते हैं किंतु भौतिक रूप से माल या इमारतों के रखरखाव में उपयोग की जाने वाली सामग्री या माल के उत्पादन से जुड़े उपकरणों के संचालन में शामिल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, ऊर्जा और ईंधन, संयंत्र और उपकरण, जो कि माल इत्यादि के अंतिम रूप का हिस्सा नहीं होते हैं। व्यापार समझौतों के आधार पर, इन तत्वों को मूल या गैर उत्पत्ति के रूप में माना जा सकता है।

(x) **खुदरा बिक्री के लिए पैकेट और पैकिंग सामग्री के उपचार के नियम ऐसे नियम:-** ऐसे नियम यह बताते हैं कि अंतिम मूल्य सामग्री या टैरिफ परिवर्तन की गणना करने के लिए ऐसी सामग्री का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा।

(xi) **प्रत्यक्ष खेप:-** कई समझौतों में यह शर्त रखी जाती है कि मूलतः उत्पाद का दावा करने के लिए माल को उत्पादित देश से सीधे आयातित देश में भेजा जाना चाहिए। निश्चित दस्तावेजों को दिखाए जाने के विषयाधीन व्यापार समझौतों में कुछ छूट भी दी जा सकती है।



संचयन ?

प्रत्यक्ष खेप ?

आवश्यक दस्तावेज

खण्ड II

(इसे आगम-पत्र के भरे जाने के बाद भरा जाना है)

- (क) आयातकर्ता का नाम:
(ख) आगम-पत्र की संख्या और तारीख:
(ग) सीमाशुल्क स्टेशन, जहां आगम-पत्र भरा गया हो:
(घ) माल जिसपर शुल्क की वरीयता दर का दावा किया गया है: :

क्रम संख्या	विवरण	वर्गीकरण (8 अंक)

खण्ड III

(माल के आयात के पहले निम्नलिखित जानकारी रहनी चाहिये)

भाग क :

1. आयातित माल के बारे में मूलतः उत्पादन के देश में अपनायी गयी उत्पादन-प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण दें। साथ ही, बताएं कि मूलतः उत्पादन नियमावली में विनिर्दिष्ट में से मूलतः उत्पादन की किस श्रेणी का दावा किया गया है। जैसे कि WO, RVC + CTH/CTSH या CTH या CC या RVC, आदि।

[WO: पूर्णतया प्राप्त; RVC: क्षेत्रीय मूल्य अवयव; CTH: टेरीफ़ शीर्ष में परिवर्तन; CTSH: टेरीफ़ उप-शीर्ष में परिवर्तन; CC: अध्याय में परिवर्तन]

नोट 1: जहां माल के पूर्णतया प्राप्त होने का दावा किया गया है वहाँ उस प्रक्रिया का उल्लेख करें जिसके आधार पर यह दावा किया गया है कि यह इस श्रेणी में आता है। हर व्यापारिक करार में एक विशेष नियम के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया की सूची दी गयी होती है और यह करार दर करार भिन्न-भिन्न होती है।

उदाहरणार्थ:

- किसी भू-क्षेत्र में शिकार करके या जाल फैला कर, या पार्टी के आंतरिक जल-क्षेत्र में या समुद्री क्षेत्र में मत्स्य पालन या जल-कृषि करके प्राप्त माल:
- उपरोक्त वाक्य में संदर्भित माल से, फैक्ट्री के जहाज पर, उत्पादित माल, बशर्ते कि फैक्ट्री का ऐसा पंजीकृत हो या पार्टी के रेकार्ड में हो और उसपर इसका ध्वज लगा हो।

नोट 2: यदि ऐसा माल 'पूर्णतया प्राप्त, की श्रेणी में नहीं आता है तो मूलतः उत्पादन के देश में अपनाई गयी विनिर्माण/प्रक्रिया के बारे में अवश्य पता लगाया जाना चाहिये।

माल का विवरण	उत्पादन की प्रक्रिया	मूल मानदंड की श्रेणी
1.		
2.		

भाग ख:

(इसे तब भरा जाना है जब मूल मानदंड की श्रेणी 'पूर्णतया प्राप्त' की नहीं है, और इसे आयात किए जानेवाले प्रत्येक माल के बारे में तथा अलग-अलग पत्रे में भरा जाना है)

1. इस अनुरोध से संबन्धित प्रत्येक मूल सामग्री या ऐसे माल के उत्पादन में प्रयुक्त घटक के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें। यदि किसी मूल सामग्री/घटक का प्रयोग न हुआ हो तो वहाँ 'कोई नहीं' लिखें-

आयात के अंतर्गत आनेवाले माल का विवरण और उसका वर्गीकरण (8 अंक):

मूल सामग्री या घटक का विवरण	क्या अंतिम रूप से तैयार माल के उत्पादक के द्वारा विनिर्मित है	क्या उत्पादक ने किसी स्थानीय तीसरे पक्षकार से खरीदा है	यदि किसी तीसरे पक्षकार से खरीदा गया हो तो क्या माल के अंतिम उत्पादक ने इन घटकों के मूलतः उत्पादन से सम्बन्धित अनुरूपता और दस्तावेजी प्रमाण लिया है?
	(हाँ/नहीं)	(हाँ/नहीं)	(हाँ/नहीं)
1.			
2.			

नोट:- यदि तैयार माल के निर्माण में उपयोग किए गए किसी भी घटक के मूल का पता लगाया जाना संभव न हो तब उसे गैर-उत्पादित माना जाएगा।

2.

(क)	क्या नगण्यता के प्रावधान का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या अपेक्षित माल मूल मानदंडों को संतुष्ट करता है या नहीं ?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाँ ○ नहीं यदि हाँ, तो उस सामग्री व लागू होने वाले मूल्य का प्रतिशत और मात्रा बताएं।
(ख)	क्या संचयन/संग्रहण के प्रावधान का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या अपेक्षित माल मूल मानदंडों को संतुष्ट करता है या नहीं ?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाँ ○ नहीं यदि हाँ, तो संचयन की पद्धति और सीमा बताएं।
(ग)	क्या किसी अन्य मानदण्ड जैसे अप्रत्यक्ष/ तटस्थ सामग्री, पैकिंग सामग्री के प्रावधान का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि क्या अपेक्षित माल मूल मानदंडों को संतुष्ट करता है या नहीं ?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाँ ○ नहीं यदि हाँ, तब प्रयोग किए गए मानदण्ड की जानकारी दें। सामग्री के बारे में बताएं।

(घ)	क्या मूल उत्पत्ति का मानदण्ड सामग्री के मूल्य पर आधारित है?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं <p>यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) स्थानीय मूल्य सामग्री का प्रतिशत (ii) वे घटक जिनसे मूल्य में वृद्धि होती है) जैसे - सामग्री, लाभ, श्रम, ऊपरी लागत(
(ड.)	क्या मूल मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए सीटोसी (CTC) नियम लागू किए गए हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं <p>यदि हां, तब माल के उत्पादन में प्रयोग किए गए गैर उत्पादित माल/घटक के एच एस (HS)की जानकारी दें।</p>
(च)	इस निवेदित माल को मूल उत्पत्ति का पता लगाने के लिए प्रक्रिया नियम लागू किए गए हैं?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं <p>यदि हां, तो लागू किए गए नियमों की जानकारी प्रदान करें।</p>
(छ)	क्या सीओओ (COO) को पूर्वव्यापी रूप से जारी किया गया है ?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं <p>यदि हां, तो इसका कारण बताएं।</p>
(ज)	क्या प्रश्रुत खेप को मूल उत्पादित देश से सीधे भेज दिया गया है?	<ul style="list-style-type: none"> ○ हां ○ नहीं <p>यदि नहीं, तब क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि यह कार्य सम्बन्धित करार के प्रावधानों के अनुसार किया गया गया है?</p> <p>यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि माल प्रत्यक्ष खेप की निर्धारित शर्तों पर खरा उतरता है?</p>